कस्टोडियन भूमि के वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत अधिकार दिलाने की पहल तेज

विधायक यूनुस ख़ान के नेतृत्व में सामूहिक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

डीडवाना, (निसं)। विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूनुस ख़ान ने शासन सचिवालय जयपुर में मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास तथा शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, डॉ. जोगाराम से मुलाकात कर उपखण्ड डीडवाना की निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि पर बसे वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत नियमन, आवंटन एवं नामान्तकरण प्रदान करने से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

विधायक यूनुस ख़ान ने मुलाकात के दौरान बताया कि डीडवाना के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों परिवार पिछले कई दशकों से कस्टोडियन दर्ज भूमि पर निवास और कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें अब तक कानूनी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने स्वतंत्रता के बाद कठिन परिस्थितियों में घर बनाए, भूमि को उपजाऊ बनाया, व्यवस्थित रूप से कर अदा किए और सामाजिक रूप से स्वयं को स्थापित किया, फिर भी राजस्व

- **कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास**

अभिलेखों में भूमि कस्टोडियन के रूप में दर्ज रहने के कारण आज वे कानूनी अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे परिवारों को उनका वास्तविक और विधिसम्मत अधिकार दिलाने के लिए त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने भी विस्तृत चर्चा में बताया कि विभाग कस्टोडियन भूमि संबंधी प्रकरणों के व्यवस्थित निस्तारण के लिए विशेष समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है, तथा डीडवाना क्षेत्र जैसे प्रभावित इलाकों में जिला स्तरीय समिति गठित कर सर्वे व सत्यापन कार्य तेज किए जाएंगे। उन्होंने नियमन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी आश्वासन दिया।

ज्ञापन के साथ विधायक यूनुस ख़ान ने निष्क्रान्त संपत्ति की ऐतिहासिक एवं कानूनी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए परिवारों की संपत्तियों को भारत सरकार ने 'निष्क्रान्त संपत्ति' घोषित कर कस्टोडियन विभाग को सुपुर्द किया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने 1963 और 1970 के भू-राजस्व नियमों में इनके स्थायी आवंटन के लिए प्रावधान किए। भारत सरकार के कैबिनेट निर्णय 69/2008 के अनुसार अप्रयुक्त निष्क्रान्त भूमि को 'सिवायचक' दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिनके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी आदेशों के अनुसार इन भूमियों को सिवायचक में दर्ज किया गया। अतिरिक्त रूप से, जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 11.04.2011 को पारित आदेश में डीडवाना उपखण्ड की समस्त कस्टोडियन भूमि को सिवायचक में परिवर्तित किया जा चुका है। प्रदेश के अनेक जिलों में अब तक हजारों काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए जा चुके हैं, परंतु डीडवाना के पात्र परिवार अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं।

विधायक यूनुस ख़ान ने स्पष्ट रूप से कहा कि उपखण्ड डीडवाना में विशेष सर्वे अभियान चलाकर कस्टोडियन भूमि की संपूर्ण पहचान की जानी चाहिए और वास्तविक कब्जाधारियों को नियमन व आवंटन की विधिक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पूर्व में आवंटन या पंजीयन हुआ है, वहां मौजूद अभिलेखीय विसंगतियों को दूर कर पात्र व्यक्तियों को वैध पट्टे और खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएं तथा संपूर्ण प्रक्रिया में पंचायतों, नगर निकायों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विधायक यूनुस ख़ान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से लंबित इस गंभीर समस्या को सरकार के सर्वोच्च स्तर पर मजबूती से उठाकर प्रभावित परिवारों के लिए आशा की किरण जगाई है। उन्होंने कहा कि विधायक के प्रयासों से अब कस्टोडियन भूमि विवाद के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होने की वास्तविक संभावनाएं बनी हैं।

अंत में विधायक यूनुस ख़ान ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर इस विषय पर शीघ्र, पारदर्शी और मानवीय समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक डीडवाना क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को उनका विधिसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रयास लगातार जारी रहेगा।

नकबजनी की वारदात का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाजार नम्बर दो स्थित दुकान में हुई नकबजनी की वारदात का राजकॉप एप की मदद से खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल शातिर नकबजन पवन मीणा निवासी बड़ा ऊँचा, थाना छबड़ा (जिला बारां) को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और लूट की 27 वारदातों में चालानशुदा रह चुका है। आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था।

पुलिस ने शातिर नकबजन पवन मीणा को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को परमानंद गुरनानी निवासी कुमुद विहार ने रिपोर्ट दी कि उनकी दुकान-हीरा ट्रेडर्स, बाजार नंबर दो का शटर टूटा हुआ मिला है। दुकान के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सुबह 5:15 बजे एक बदमाश गले का ताला तोड़कर 2,45,000 रुपये चोरी कर ले गया। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने पड़ताल व सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया।

एक फुटेज में स्पष्ट चेहरा दिखने पर उसे राजकॉप ऐप में फोटो मैच किया गया, जिसमें आरोपी की पहचान पवन मीणा के रूप में हो गई। पोर्टल पर सर्च करने पर पता चला कि आरोपी राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में

- **प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और लूट की 27 वारदातों में चालानशुदा रह चुका है आरोपी**

नकबजनी और अकेली महिलाओं से लूट करने के मामलों में 27 बार चालानशुदा है। आरोपी के गांव में तलाश की गई, जहां यह सामने आया कि वह वर्षों से वहां नहीं गया। उसके तरीके को देखते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर निगरानी शुरू की गई।

निगरानी के दौरान आरोपी की पहचान कांस्टेबल संजय जीनगर और कांस्टेबल भूपेंद्र गिरी ने की। रैकी के दौरान पवन मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी में इस्तेमाल फोल्डिंग सरिया बरामद कर ली। अनुसंधान जारी है।

अपराध का तरीका :- पवन मीणा लगातार एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता था। नशे की लत और शौक पूरा करने के लिए वह रात को रेलवे स्टेशन के आसपास दुकानों की रैकी करता और सुबह जल्दी वारदात अंजाम देकर बस या ट्रेन से दूसरे जिले में भाग जाता था। वह लगातार ठिकाने बदलता रहता था।

एनडीपीएस मामले में फरार दो इनामी वांछित गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक साल से फरार चल रहे 10-10 हजार के दो इनामी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

- **पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा कर रखी थी**

पुलिस ने एनडीपीएस मामले में दो इनामी वांछितों को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2024 को तत्कालीन थानाधिकारी उगमाराम गश्त कर रहे थे। इस दौरान बड़ा महुआ से गोवर्धनपुरा जाने वाले रोड पर एक सफेद रंग की कार को डिटेन किया, जिसका चालक मौके से फरार हो गया था। नियमानुसार मौके पर कार की तलाशी कार्रवाई की तो उक्त कर में चार प्लास्टिक कट्टों में 62 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा मिला। जिसे प्रकरण में जप्त किया घटना का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने मौके से फरार आरोपी की तलाश शुरू की। वाहन में मिले वाहन बीमा के कागजात के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। मुखबिर के जरिए और तकनीकी सहायता से अज्ञात आरोपियों की तलाश करते हुए पुलिस ने आरोपी गोविंद पुत्र मांगीलाल गुर्जर एवं प्रकाश पुत्र भोजराज गुर्जर निवासी बड़ी धनगांव थाना सिंगोली एमपी को घटना में शरीक होना पाया और दोनों आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में टीम ने एक साल से फरार चल रहे आरोपी गोविंद और प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।

अवैध बजरी खनन का स्टॉक जब्त, दो गिरफ्तार

बौंली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन स्टॉक जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया।

बौंली-बामनवास, (निसं)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध बजरी खनन व स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए बौंली थाना पुलिस ने एक लोडर, एक पिकअप केन्ट्रा व आठ टन बजरी स्टॉक को जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया है।

- **एक लोडर, एक पिकअप केन्ट्रा व आठ टन बजरी स्टॉक जब्त**

बौंली सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हैड कांस्टेबल जयदेव सिंह ने मय टीम के 8 लाइन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे टोलटैक्स बौंली के पास खाली जगह में अवैध बजरी स्टॉक कर बजरी को लोडर की सहायता से भरते हुए एक लोडर व एक पिकअप कैंट्रा व 80 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त कर लोडर चालक मुकून गुर्जर निवासी गुडला नदी व मुरारी लाल मीणा पिकअप केंट्रा चालक निवासी झनूण को गिरफ्तार किया। सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि ये साधन लोडर व पिकअप केंट्रा प्रवीण गोयल निवासी बौंली के नाम पर है, गोपनीय जानकारी मिली कि प्रवीण द्वारा 8 लाइन एक्सप्रेस-वे के पास खाली पड़ी जमीन में टोलकर्मी फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर द्वारा चोरी छुपे अवैध बजरी का स्टॉक करवाया जाता था एवं अवैध बजरी के स्टॉक को लालसोट बड़ का पाड़ा, जमात लालसोट में बेचा जा रहा है।

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक मुकून गुर्जर व मुरारी लाल मीणा को मौके से गिरफ्तार कर लिया एवं अन्य आरोपी प्रवीण गोयल व टोलकर्मी फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर की तलाश जारी है।

सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की नहीं मिली राशि

कहीं संस्था प्रधान की जेब, कहीं शाला विकास कोष से जमा हो रहे स्कूलों में बिजली-पानी बिल

बीकानेर, (निसं)। सरकारी स्कूलों में सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों सहित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सरकारी स्कूलों को मिलने वाले इस बजट की 70 प्रतिशत राशि दिसंबर माह तक खर्च करने का प्रावधान है। वर्तमान शिक्षा सत्र में हालात यह है कि आधा सत्र भी जाने के बाद भी जिले के 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट का एक रुपया भी नहीं मिला है। हालत यह है कि संस्था प्रधानों को अपनी जेब से या फिर शाला विकास कोष से बिजली-पानी के बिल सहित न्यूज पेपर और स्टेशनरी भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में होने वाले व्यय को लेकर संस्था प्रधान परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में जमा राशि से अबकी बार दीपावली के पर्व पर सरकारी स्कूलों का रंग रोगन एवं छोटा-मोटा मरम्मत का कार्य करवाने में खर्च हो गई। जिसके कारण सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए कई कार्य अधर में लटके हुए हैं या संस्था प्रधान एवं शिक्षक अभी अपने जेब से राशि खर्च कर रहे हैं।

नामांकन के आधार पर सरकारी स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट की राशि निर्धारित है। इस राशि से स्कूल की स्वच्छता, बच्चों के लिए पानी, चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था की जाती है। अब तक केवल महात्मा गांधी स्कूल सहित प्राथमिक के 50 प्रतिशत स्कूलों में ही राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों को ग्रांट राशि नहीं मिली है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बीकानेर जिले में संचालित प्रारंभिक शिक्षा के 1485 स्कूलों को 50 प्रतिशत राशि के तहत दो किस्तों में लगभग 1.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जबकि 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को 6 महीने बाद भी बजट की प्रथम किस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है।

मालखाने में रखी गाड़ियों से पार्ट्स चुराने का प्रयास, तीन गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर के रातानाड़ा पुलिस थाने की नई बिल्डिंग निर्माणाधीन है। हॉस्टल नंबर 3 के पास में ही इसका निर्माण कार्य चल रहा है। रातानाडा पुलिस द्वारा विभिन्न मदों में जब्त की गई गाड़ियां नई बिल्डिंग के पास में मालखाना बनाकर रखी गई है। मंगलवार की रात को तीन शख्स वहां पर चोरी की नीयत से आए और गाड़ियों के पार्ट्स आदि चोरी का प्रयास करने लगे। पुलिस गश्त करते मालखाने की तरफ पहुंची तब तीन शख्स पुलिस को देख कर भागने लगे, फिर उन्हें मौके पर पकड़ा गया। उनके पास में हथौड़ी, लगिया-सरिया और कुछ नकली चाबियां मिली। बाद में उनका फोटो मिलान आदि किया तो पूर्व के नकबजन निकले। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, अग्रिम जांच की जा रही है।

- **हथौड़ी, लगिया-सरिया और कुछ नकली चाबियां मिली, आरोपियों का फोटो मिलान आदि किया तो पूर्व के नकबजन निकले**
- **आरोपियों का क्राइम रिकार्ड देखा तो पता लगा कि इनके खिलाफ पहले से ही चोरी के प्रकरण दर्ज है**

एसआई जेठाराम ने बताया कि हॉस्टल नंबर 3 के पीछे रातानाडा थाने की नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। थाना पुलिस द्वारा जब्त की गई कई गाड़ियों को पास में ही एक मालखाना बनाकर रखा हुआ है। रात आठ बजे वे गश्त करते हुए पहुंचे तब तीन संदिग्ध युवकों रातानाडा सांसी कॉलोनी पांच बत्ती निवासी किशन उर्फ बुधिया पुत्र चंपालाल सांसी, सुल्तान पुत्र जवानाराम एवं बज्गी खाना सांसी कॉलोनी राहुल पुत्र शंकरलाल को पकड़ा गया। उनके पास में चोरी करने लायक हथियार मिले। इनके पास में हथौड़ी, लगिया-सरिया और दो तीन नकली चाबियां मिली। पूछताछ में सामने आया कि यह लोग मालखाने में रखी गाड़ियों से पार्ट्स चुराने आए थे। तीनों पैदल ही थे। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम रिकार्ड देखा तो पता लगा कि इनके खिलाफ पहले से ही चोरी के प्रकरण दर्ज है, जिस पर गिरफ्तार कर लिया।

संविधान दिवस पर गोष्ठी आयोजित

बूंदी, (निसं)। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्र के कीट वैज्ञानिक प्रोफेसर हरीश वर्मा ने संविधान उद्देशिका का वाचन किया।

उन्होंने बताया कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान की सोच, संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिक कत्तर्व्यों के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाना है। संविधान केवल सरकार का ढांचा तय नहीं करता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और गरिमा की भी रक्षा करता हैं। यह दिवस हमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और संवैधानिक मूल्यों को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। संविधान दिवस हमें यह सीख देता है कि भले ही लोकतंत्र मतपत्र से बनता है, परन्तु हमारा देश जागरुकता, कत्तर्व्यपरायणता और संवैधानिक मूल्यों से चलता हैं। इस दौरान केन्द्र के फार्म मेनेजर महेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता डॉ. दीपक कुमार, विकास ताखर, लोकेश प्रजापत, विजेन्द्र वर्मा एवं रामप्रसाद मौजूद रहे।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद शुरु

बूंदी, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन एवं उड़द खरीद के लिए बून्दी, हिण्डोली, के. पाटन (कापरेन, सुमेरगंजमण्डी), नैनवाँ (देई) में क्रय विक्रय सहकारी समितियों में एवं खटकड़, भैरूपुरा औझा, अरनेठा, बसोली, गोठड़ा, पेंच की बावड़ी, जरखोदा व करवर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल 13 क्रय केन्द्र जिले में स्थापित किये गये हैं। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग ने बताया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रू. एवं उड़द का समर्थन मूल्य 7800 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है। 24 नवम्बर से खरीद शुरू हो चुकी है, खरीद प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए राजफैड जयपुर द्वारा पंजीकृत किसानों को अपनी जिंस निर्धारित दिनांक को तुलवाने के लिए सूचित किया जाता हैं। किसान अपनी जिंस (एफ.ए.क्यू. मापदण्ड अनुसार) खरीद केन्द्र पर निर्धारित दिनांक को ही विक्रय करें। यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स विक्रय नहीं कर पाता है, तो वह 10 दिवस की अवधि में अपनी जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।

प्रजापति समाज के सात जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

शाहपुरा, (निसं)। त्रिवेणीधाम में श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति त्रिवेणी धाम शाहपुरा के तत्वावधान में खोजीद्वाराचार्य रामरिछपालदास महाराज व प्रहलाददास महाराज के सान्निध्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम उज्जैन धाम के सिद्धिगिरि महाराज, भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री सुधा कुमावत, अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. अंजनी किरोडीवाल, भाजपा नेता उपेन यादव, विधायक मनीष यादव, पंजाब के भाजपा प्रदेश मंत्री राजेंद्र, गंगानगर के राजीव, भामाशाह गौरीशंकर, कैलाशचंद्र, पूर्व सरपंच बल्लूराम कुम्हार, डॉ.भोजराज कुमावत अतिथि रहे। तोरण व वरमाला की रस्म के बाद गायत्री परिवार की टीम थानाराम सेपट व बल्लूराम कुम्हार के नेतृत्व में सदस्यों ने विधि विधानपूर्वक सात जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न करवाया।

समारोह के दौरान अतिथियों ने कहा कि समाज उत्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। फिजूल खर्ची के साथ-साथ समाज के कमजोर लोगों को संबल मिलता है। इस

सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों का पाणीग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया।

दौरान समिति अध्यक्ष संतुलाल, कालूराम माचीवाल, सुवालाल, मातादीन, कालूराम दुहारिया, शंकरलाल, बनवारी, सुरेंद्र कुमार, रमेश, हंसराज, राकेश, रोहिताश, भागीरथमल, रामचंद्र, मुकेश, पूर्व पार्षद पूजा देवी, सजना देवी, मोहन, देवी सहाय, आदित्य, किशनलाल, आदि ने अतिथियों व भामाशाहों का सम्मान किया। अतिथियों ने वर वधु को सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह में प्रजापति समाज समिति अहमदाबाद, बडौदा, भावनगर, मेहसाना, अलवर समिति पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने भाग लिया।

- **श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति त्रिवेणीधाम का सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न**

समिति एवं भामाशाहों द्वारा वर वधु को विवाह सम्मेलन में बैड, अलमारी, सिलाई मशीन, एलईडी टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, बर्तन, आभूषण, घड़ी सहित विभिन्न प्रकार का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। महिलाओं ने वधुओं को एक-एक साड़ी कन्यादान स्वरूप भेंट की।

आजेएस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर दाखिल याचिका खारिज

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आजेएस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर दाखिल की गई याचिका को अब खारिज कर दिया है। उसे औचित्यहीन बताया गया। याचिकाकर्ता छूट मांग कर भूल गया, इस बीच सात साल में कई न्यायाधीश बदल गए।

- **न्यायिक सेवा भर्ती में उम्र की छूट मांगकर भूल गया याचिकाकर्ता, जस्टिस बदलते रहे, कोर्ट ने केस खारिज किया**

राजस्थान न्यायिक सेवा (आजेएस) भर्ती में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्र में छूट देने की मांग से जुड़े इस मामले में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 10 साल पुरानी इस याचिका (ललित कुमार बनाम रजिस्ट्रार जनरल) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समय बीतने के साथ अब इसका कोई औचित्य नहीं बचा है। मामले की शुरुआत 2015 में हुई थी। जोधपुर निवासी ललित कुमार रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत थे। ललित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका सपना न्यायिक अधिकारी बनने का था, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही थी। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम-2010 के नियम-17 के तहत राज्य सरकार, पंचायत समिति, जिला परिषद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक (5 साल की छूट) का लाभ दिया जाता है। वकील ने सवाल उठाया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी उसी तरह का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? वकील ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताया था और मांग की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान छूट मिलनी चाहिए।

उस समय हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया था कि नियम बनाने का अधिकार नियोक्ता का है। उन्होंने तर्क दिया था कि आयु में छूट एक रियायत है, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। प्रशासन का कहना था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए स्वतंत्र है और यह जरूरी नहीं कि वही लाभ केंद्र के कर्मचारियों को भी दिया जाए।

इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू 25 अगस्त 2015 का वह आदेश है, जिसने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जगा दी थीं। तत्कालीन जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस जयश्री ठाकुर की डिवीजन बेंच ने ललित कुमार को अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। जब रिजल्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने खोला गया तो पता चला कि ललित कुमार प्रीलिम्स (प्रारंभिक परीक्षा) की कट-ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे।

कोर्ट की इतनी गंभीरता के बावजूद याचिकाकर्ता ने केस की पैरवी करना छोड़ दिया। इस केस के ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड गवाह हैं कि कैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा खुद याचिकाकर्ता की अनदेखी से समय की भेंट चढ़ गया। याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति आखिरी बार 27 नवंबर 2018 के आदेश में दर्ज है।